माननीय न्यायमूर्ति श्री एस मुरलीधर के सामने

मेसर्स शोभा लिमिटेड-याचिकाकर्ता
बनाम
भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी
2020 का सीडब्ल्यूपी नंबर 10804
25 सितंबर 2020

भारत का संविधान- अनुच्छेद 226—वित्त अधिनियम, 2019— धारा 121(ओ), 123—जनरल क्लॉज एक्ट, 1897— धारा 13 (2)—सबिका विस्वास (विरासत विवाद समाधान) रुआस्लेस, 2019—आरएल 3(2); सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 - चार कारण बताओ नोटिस के लिए अलग-अलग घोषणाएं दाखिल न करने पर गैर-मुकदमा - सामान्य अपील - जब एकल अपील लंबित हो - एक घोषणा की आवश्यकता होती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता का यह तर्क उचित है कि सीईएसटीएटी के समक्ष एकल लंबित अपील के संबंध में एसवीएलडीआरएस नियमों के नियम 3 (2) के संदर्भ में भी एक घोषणा दायर की जानी आवश्यक है। इसलिए, न्यायालय इस बात की सराहना करने में असमर्थ है कि अति-तकनीकी आधार पर कि चार अलग-अलग घोषणाएं दायर नहीं की गईं, एसवीएलडीआरएस के तहत याचिकाकर्ता का आवेदन क्यों खारिज कर दिया जाना चाहिए था। (पैरा 9)

याचिकाकर्ता के वकील अमर प्रताप सिंह।

प्रतिवादियों की ओर से सौरभ गोयल, वकील।

माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ एस. मुरलीधर,

(1) वर्तमान रिट याचिका में एक संक्षिप्त बिंदु शामिल है, जो नामित समिति/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित 21 फरवरी, 2020 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें सबका विश्वास (विरासत) के तहत फॉर्म एसवीएलडीआरएस 1 में याचिकाकर्ता की घोषणा को खारिज कर दिया गया है। विवाद समाधान) योजना, 2019 ('योजना') इस आधार पर कि याचिकाकर्ता द्वारा केवल एक घोषणा दायर की गई है, जबकि सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) नियम, 2019 ('नियम') के नियम 3 (2) के लिए " प्रत्येक मामले के लिए एक अलग घोषणा दाखिल की जानी है।

(2) वर्तमान रिट याचिका के उद्देश्य के लिए संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को जुलाई, 2013 से दिसंबर, 2015 तक की अवधि के लिए चार कारण बताओ नोटिस ('एससीएन') जारी किए गए थे, जिन्हें एससीएन ने एक साथ लेते हुए शुल्क राशि की मांग की थी। रुपये का याचिकाकर्ता से 66,70,553/- रु. अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दिनांक 17 मार्च, 2016 के समेकित आदेश द्वारा मांगों की पुष्टि की गई।

(3) 17 मार्च 2016 के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने 10 जनवरी 2017 के एक आदेश द्वारा शुल्क की मांग को बरकरार रखा।

(4) याचिकाकर्ता ने 17 मार्च 2016 के उपरोक्त आदेश के खिलाफ केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण ('सीईएसटीएटी') के समक्ष एक एकल अपील दायर की। वह अपील निर्णय के लिए लंबित है।

(5) योजना की घोषणा होने के साथ, याचिकाकर्ता ने इसके तहत लाभ उठाने का फैसला किया। योजना के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने की पूर्व शर्त के रूप में, वित्त अधिनियम, 2019 ('अधिनियम') की धारा 123 के तहत, निर्धारिती द्वारा स्वीकार किए गए 'कर बकाया' का खुलासा एसवीएलडीआरएस फॉर्म में आवेदन में किया जाना है। 1 और एक पूर्व-जमा राशि बनाई गई। अधिनियम की धारा 123 (ए) (आई) 'कर बकाया' को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

"(ए) जहां-

(i) अपीलीय फोरम के समक्ष 30 जून, 2019 को लंबित एक आदेश से उत्पन्न होने वाली एकल अपील, शुल्क की कुल राशि जो उक्त अपील में विवादित है।

(6) तदनुसार, याचिकाकर्ता ने 30 दिसंबर, 2019 को फॉर्म एसवीएलडीआरएस 1 में एक आवेदन दायर किया, जिसमें उसके 'कर बकाया' को 26,68,220.50 और रुपये की पूर्व-जमा 6,67,056/- रुपये के रूप में दर्शाया गया।

(7) यह वह आवेदन है जिसे अब आक्षेपित आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता को चार अलग-अलग घोषणाएं/आवेदन दाखिल करने चाहिए थे।

(8) न्यायालय ने नोट किया कि नियमों के नियम 3 (2) के तहत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक 'मामले' के लिए एक अलग आवेदन दायर किया जाना है। इसके तहत स्पष्टीकरण एक 'मामले' को निम्नानुसार परिभाषित करता है

> “(ए) श्यो कॉज़ नोटिस या ऐसे नोटिस से उत्पन्न एक या अधिक अपील जो 30 जून, 2019 तक लंबित है या

(बी) बकाया राशि; या

(सी) एक पूछताछ या जांच या ऑडिट जहां राशि 30 जून, 2019 को या उससे पहले निर्धारित की गई है; या

(डी) एक स्वैच्छिक प्रकटीकरण"।

(9) इस प्रकार, वर्तमान मामले में देखा गया है कि 30 जून, 2019 तक, चार एससीएन लंबित नहीं थे। वास्तव में, इन पर फैसला सुनाया जा चुका था और अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा चार एससीएन में एक समेकित आदेश पारित किया गया था। इसी प्रकार, संयुक्त अपील में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा एक समेकित आदेश पारित किया गया था। इसके बाद CESTAT के समक्ष एक अपील दायर की गई। इसलिए, याचिकाकर्ता का यह तर्क उचित है कि सीईएसटीएटी के समक्ष एकल लंबित अपील के संबंध में एसवीएलडीआरएस नियमों के नियम 3 (2) के संदर्भ में भी एक घोषणा दायर की जानी आवश्यक है। इसलिए, न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि अति-तकनीकी आधार पर कि चार अलग-अलग घोषणाएं दायर नहीं की गईं, एसवीएलडीआरएस के तहत याचिकाकर्ता का आवेदन क्यों खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

(10) प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ स्थायी वकील श्री सौरभ गोयल ने वित्त अधिनियम की धारा 121 (ओ) में 'आदेश' की परिभाषा की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, "किसी भी अप्रत्यक्ष के तहत निर्धारण का आदेश" कर अधिनियम, ऐसे अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में पारित किया गया।

(11) न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अमर प्रताप सिंह की दलील में योग्यता पाई कि उपरोक्त परिस्थितियों में सामान्य धारा अधिनियम, 1897 की धारा 13 (2) को लागू किया जा सकता है जिसके संदर्भ में "शब्दों में" एकवचन में बहुवचन शामिल होगा, या इसके विपरीत"।

(12) किसी भी कोण से देखने पर, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि एक घोषणा, और चार नहीं, 30 दिसंबर, 2019 को दायर की गई थी।

(13) इसके अलावा, न्यायालय ने नोट किया कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के इस कथन पर विवाद नहीं किया है कि यदि चार अलग-अलग घोषणाएँ दायर की जानी थीं, तो याचिकाकर्ता को केवल रुपये 13,34,110/- का भुगतान करना पड़ सकता है। जबकि अब दायर घोषणा के संदर्भ में, याचिकाकर्ता को 26,68,220.50/- रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है।

(14) उपरोक्त सभी कारणों से, दिनांक 21 फरवरी, 2020 का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है। उत्तरदाताओं को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर फॉर्म एसवीएलडीआरएस 1 में याचिकाकर्ता की घोषणा/आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने और उसके बाद एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को निर्णय के बारे में सूचित करने का निर्देश जारी किया जाता है।

(15) यदि घोषणा/आवेदन में पारित आदेश से व्यथित है, तो याचिकाकर्ता कानून के अनुसार उचित उपचार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR0672)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

तोशाम (भिवानी), हरियाणा